न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
230 / 2025

दायर दिनांक
01.05.2025

निर्णय दिनांक
02-06-2025

1. ईश्वर तेली पुत्र नारायण तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा ।
2. उदयराम पुत्र मोहन लाल तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा ।
3. कंचन देवी पत्नी नारायण तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)।
4. नानूराम पुत्र नारायण तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
5. बदाम बाई पत्नी स्व. मोहन लाल तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
6. भैरू पुत्र मोहन लाल निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)।
7. रूकमा देवी पत्नी नारायण तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज)।
8. राजु पुत्र नारायण तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)।
9. लादू लाल पुत्र नारायण तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज) ।
10. शिव लाल पुत्र नारायण तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.) ।
11. सुरेश पुत्र नारायण तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)।
12. सुन्दर देवी पुत्री मोहन लाल निवासी सांगवा तहसील व जिला
13. चांदी देवी पत्नी उदा उम्र वयस्क निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. अनिता तेली पुत्री नन्दा उर्फ नन्दराम तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. उदी तेली पुत्री नन्दा उर्फ नन्दराम तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. चंदा तेली पुत्री नन्दा उर्फ नन्दराम तेली निवासी सांगवा तहशील व जिला भीलवाड़ा
4. जमना देवी तेली पुत्री नन्दा उर्फ नन्दराम तेली नि0 सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. प्रेम देवी तेली पुत्री मांगू तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) ।
6. भोली देवी पत्नी स्व. श्री मागू तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. रतन पुत्र नन्दा उर्फ नन्दराम तेली निवासी सांगवा तहसील व भीलवाडा ।
8. सीमा पुत्री नन्दा उर्फ नन्दराम तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
9. रामगणी पुत्री मांगू तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. शकरी देवी पुत्री मांगू तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. सायरी देवी पुत्री मांगू तेली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. रामी पत्नी स्व. उदा ब्राहमण निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. भैरू लाल पुत्र राजमल महाजन निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
14. भीमराज बैरवा पुत्र सोहन लाल बैरवा निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—— विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री प्रताप तेली उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा कारोईकला भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकला तहसील व जिला भीलवाड़ा मे दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि स्थित आराजी नम्बर 1144, रकबा 0.1897 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1145 रकबा 0.0885 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा कारोईकला भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकला तहसील व जिला भीलवाड़ा मे दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि स्थित आराजी नम्बर 1144, रकबा 0.1897 हेक्टर आराजी संख्या 1145 रकबा 0.0885 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे।
निर्णय आज दिनांक 02-06-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा